न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं01250/2020 तारीख रजू:–09.07.2020

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

भगवानसिंह पुत्र नन्दराम जाति धाकड निवासी हिण्डौन जिला करौली ––– वादी

बनाम

1. कमल पुत्र नन्दराम | जाति धाकड निवासी प्रहलाद कुण्ड के पास
2. किशन पुत्र नन्दराम
3. चन्दन पुत्री नन्दराम | खरैटा करसौली रोड, गुम्मट, हिण्डौन
4. बच्चूसिंह पुत्र नन्दराम
5. भगवानदेई पुत्री नन्दराम | जिला करौली राजस्थान
6. मनीराम पुत्र नन्दराम
7. रेशम पुत्री नन्दराम
8. लच्छी पुत्री नन्दराम
9. तहसीलदार लैण्ड होल्डर, हिण्डौन जिला करौली ––––––– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थित :– 1. श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट वादी
2.श्री कर्मेन्द्र चतुर्वेदी एडवोकेट प्रतिवादी सं01ता5,7,8

निर्णय

दिनांक :– 16-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय हाजा में उपरोक्त उनवानी वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादी व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रतिवादी सं01 ता 8 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 7470 रकबा 0.44 है0, 7382 रकबा 0.27 है0, 7491 रकबा 0.28 है0, 8487 रकबा 0.11 है0, 8488 रकबा 0.09 है0, 8489 रकबा 1.04 है0, 8490 रकबा 0.28 है0, 8503 रकबा 0.52 है0, 8506/10025 रकबा 0.26 है0, 8514 रकबा 0.08 है0, 8515 रकबा 0.02 है0, 8522 रकबा 0.32 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 3.79 है0 वाके कस्बा हिण्डौन में स्थित है। उक्त आराजीयात को वादीगण व प्रतिवादी सं01 ता 8 संयुक्त रूप से काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात पैत्रिक है तथा पूर्व में उक्त भूमि की खातेदारी वादी व प्रतिवादी सं01 ता 8 के पिता नन्दराम के नाम चली आ रही थी लेकिन वादी के पिता का दिनांक 18.01.1996 को स्वर्गवास हो जाने के पश्चात विरासत का नामान्तकरण खोलते वक्त वादी का नाम मानसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी के सभी शैक्षणिक दस्तावेजात, आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटरलिस्ट में वादी का नाम भगवानसिंह दर्ज है तथा वादी भगवानसिंह को मानसिंह के नाम से भी जाना जाता है तथा भगवानसिंह व मानसिंह दोनों एक ही व्यक्ति हैं तथा राजस्व रिकार्ड में भी वादी का नाम मानसिंह दुरूस्त किया जाना कानूनन न्याय संगत है।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादी दिनांक 20.06.2020 को अपनी सरसों की लेवी में बेचने गया तो वादी का नाम सभी शैक्षणिक दस्तावेजात व आधार कार्ड, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड में भगवानसिंह दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड में मानसिंह दर्ज होने के कारण वादी की लेवी में सरसों नहीं बिकी तथा कम दामों में बाजार में सरसों बेचनी पडी, जिससे वादी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ तथा प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करने हेतु पटवारी हल्का से कहा तो हल्का पटवारी ने कोर्ट में कार्यवाही करने बाबत् कहा इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मानसिंह दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को कोई सरकारी योजनाओं का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फायदा नहीं मिल रहा है न ही प्रार्थी ऋण ले सकता है, इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि दिनांक 20.06.2020 को पटवारी हल्का ने वादी के राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करने की मना करने व न्यायालय में दावा पेश करने की कहने से वाद कारण उत्पन्न हुआ इसलिए दावा अन्दर म्याद पेश है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती डिकी फरमाया जावे कि आराजीयात मुतजिका मद नं01 वाद पत्र में वादी का नाम मानसिंह की जगह भगवानसिंह घोषित करने के आदेश फरमावें तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद करने के आदेश प्रतिवादी सं09 लैण्ड होल्डर को फरमावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तबल किया गया। दिनांक 17.08.2021 को प्रतिवादी सं0 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 24.03.2022 को प्रतिवादी सं0 9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं0 1 ता 5, 7,8 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा इकबालिया जबाव दावा पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 लगायत 6 को स्वीकार किया है तथा वाद पत्र के मद नं0 7,8, कानूनी बताये हैं तथा वाद पत्र का मद नं0 9 स्वीकार किया है तथा अंत में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण को वादी का नाम मानसिंह की जगह भगवानसिंह घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल करने के आदेश जारी कर दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071—74 प्रदर्श—1, असल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा 1987 रोल नम्बर 506483 भगवानसिंह धाकड पुत्र नन्दराम धाकड के नाम से जारी की हुई है, असल परिवार राशन कार्ड बार कोट संख्या 114803400297 भगवानसिंह धाकड पुत्र नन्दराम निवासी प्रहलाद कुण्ड के पास, गुम्मट खरैटा रोड हिण्डौन वार्ड नं0 38 हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है, असल आधार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कार्ड संख्या 779399049239 भगवानसिंह धाकड पुत्र नन्दराम धाकड, निवासी खरैटा रोड, प्रहलाद कुण्ड के पास, गुम्मबट का पुरा हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है, असल पेन कार्ड संख्या **AISPD5464D** भगवानसिंह धाकड पुत्र नन्दराम धाकड के नाम से जारी किया हुआ है पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में वादी भगवानसिंह ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर बयान कराये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया है तथा प्रतिवादी सं01 ता 5 व 7,8 के अधिवक्ता ने दौराने बहस इकबालिया जबावदावा में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है तथा कोई आपत्ति जाहिर नही की।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 प्रदर्श–1 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 7470 रकबा 0.44 है0, 7482 रकबा 0.27 है0, 7491 रकबा 0.28 है0, 8487 रकबा 0.11 है0, 8488 रकबा 0.09 है0, 8489 रकबा 1.04 है0, 8490 रकबा 0.28 है0, 8503 रकबा 0.52 है0, 8506/10025 रकबा 0.16 है0, 8514 रकबा 0.08 है0, 8515 रकबा 0.02 है0, 8522 रकबा 0.32 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 3.79 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी कमल पुत्र नन्दराम हि0 43/225, किशन पुत्र नन्दराम हि0 43/225, चन्दन पुत्री नन्दराम हि0 1/90, बच्चूसिंह पुत्र नन्दराम हि0 43/225, भगवानदेई पुत्री नन्दराम हि0 1/90, मनीराम पुत्र नन्दराम हि0 43/225, मानसिंह पुत्र नन्दराम हि0 43/225, रेशम पुत्री नन्दराम हि0 1/90, लक्ष्मी पुत्री नन्दराम हि0 1/90, जातियान धाकड निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

असल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, सैकण्ड्री स्कूल परीक्षा 1987 रोल नम्बर 506483 भगवानसिंह धाकड पुत्र नन्दराम धाकड के नाम से जारी की हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

असल परिवार राशन कार्ड बार कोट संख्या 114803400297 भगवानसिंह धाकड पुत्र नन्दराम निवासी प्रहलाद कुण्ड के पास, गुम्मट खरैटा रोड हिण्डौन वार्ड नं0 38 हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

असल आधार कार्ड संख्या 779399049239 भगवानसिंह धाकड पुत्र नन्दराम धाकड, निवासी खरैटा रोड, प्रहलाद कुण्ड के पास, गुम्मबट का पुरा हिण्डौन जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

असल पेन कार्ड संख्या **AISPD5464D** भगवानसिंह धाकड पुत्र नन्दराम धाकड के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि आराजीयात खसरा नम्बर 7470 रकबा 0.44 है0, 7482 रकबा 0.27 है0, 7491 रकबा 0.28 है0, 8487 रकबा 0.11 है0, 8488 रकबा 0.09 है0, 8489 रकबा 1.04 है0, 8490 रकबा 0.28 है0, 8503 रकबा 0.52 है0, 8506/10025 रकबा 0.16 है0, 8514 रकबा 0.08 है0, 8515 रकबा 0.02 है0, 8522 रकबा 0.32 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 3.79 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में वादी का नाम मानसिंह पुत्र नन्दराम जाति धाकड हिस्सा 43/225 दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी सं01 ता 5 व खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। वादी की ओर से प्रस्तुत शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड में वादी का नाम भगवानसिंह पुत्र नन्दराम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भगवानसिंह के स्थान पर मानसिंह दर्ज हो गया है। जिसकी दुरूस्ती कराने का वादी पूर्ण रूपेण अधिकारी साबित हो चुका है तथा प्रतिवादी सं01 लगायत 8 जो कि वादीगण के सगे भाई बहिन हैं तथा उक्त भूमि के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं ने भी इकबालिया जबावदावा पेश किया है तथा दौराने बहस भी वादी का दावा डिक्री किये जाने अर्थात राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मानसिंह के स्थान पर भगवानसिंह संशोधन किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो चुका है कि वादी का सही नाम भगवानसिंह है तथा राजस्व रिकार्ड में वादी अपना नाम मानसिंह के स्थान पर भगवानसिंह संशोधन कराने का अधिकारी है। ऐसे हालात में वादी का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 7470 रकबा 0.44 है0, 7482 रकबा 0.27 है0, 7491 रकबा 0.28 है0, 8487 रकबा 0.11 है0, 8488 रकबा 0.09 है0, 8489 रकबा 1.04 है0, 8490 रकबा 0.28 है0, 8503 रकबा 0.52 है0, 8506/10025 रकबा 0.16 है0, 8514 रकबा 0.08 है0, 8515 रकबा 0.02 है0, 8522 रकबा 0.32 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 3.79 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन में खातेदार मानसिंह पुत्र नन्दराम हिस्सा 43/225 जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार के स्थान पर भगवानसिंह पुत्र नन्दराम हिस्सा 43/225 जाति धाकड निवासी ग्राम खातेदार समस्त राजस्व रिकार्ड में संशोधन (इन्द्राज दुरूस्ती) करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगें। तहसीलदार हिण्डौन के आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन (इन्द्राज दुरूस्ती) किया जावे। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16-9-21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली